(180)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश

R-3541-III/14

1. मु. रामवती बेवा मधुसूदन प्रसाद
2. दयाकान्त पाण्डेय पिता मधुसूदन प्रसाद

दोनों निवासी ग्राम आलमगंज तहसील मनगंवा जिला रीवा (म0 प्र0) — निगरानीकर्तागण

<u>बनाम</u>

श्रीकान्त पाण्डेय पिता मथुरा प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम आलमगंज

तहसील मनगंवा जिला रीवा (म0 प्र0) — अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगंवा जिला रीवा (म0 प्र0) के प्र0 क्रं0 <u>166/अ6/13–14 आदेश दिनांक 23.09.14</u>

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू. रा. <u>संहिता 1959 ई.</u>

मान्यवर,

निगरानी ओवदन पत्र का आधार निम्न है –

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आलमगंज 23 प0 ह0 बेलवा पैकान तह0 मनगंवा जिला रीवा की भूमि नं0 496 रकबा 0.761 आरे निगरानीकर्ता क्रं0 1 के पति व क्रं0 2 के पिता को इलाकेदार द्वारा सेवा से खुश होकर दी गई थी। जिसका व्यवस्थापन अपीलार्थी क्रं0 1 के पति मधुसूदन प्रसाद के नाम हुआ था। उसी समय से मधुसूदन प्रसाद कविज कास्थ हो गये थे उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिष अपीलार्थी क्र.1व2 मौके से काविज कास्त व भूमिस्वामी दर्ज अभिलेख थे लेकिन गैर निगरानी कर्ता द्वारा हल्का पटवारी को अपने प्रभाव में लेकर सहखाते की अन्य भूमियों के बटवारे के साथ भूमि 496 रकबा 0.761 निगरानी कर्ता गण की स्वतंत्र खाते की भूमि को नामांतरण पंजी में दर्ज कर निगरानीकर्ता गण क्र.1 का फर्जी

यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3546–तीन/2014 जिला – रीवा

मु0 रामवती आदि विरूद्ध श्रीकान्त पाण्डेय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–2–2019	आवेदक की ओर से श्री पी0के0 तिवारी अभिभाषक उपस्थित। आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 166/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला–रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर जिला–रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 18/02/2019 सदस्य	